न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 53/2016
जीसीएमएस नम्बर :: 2016/00180

अपीलाण्ट्स :–
केसरसिंह पुत्र बिहारीलाल जाति राजपुरोहित निवासी ठाकुरला तहसील व जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
1. मृत बंशीलाल पुत्र रूपसिंह के कायम मुकाम :–
   1/1. सोहनकंवर पत्नी बंशीलाल
   1/2. राजूसिंह पुत्र बंशीलाल
   1/3. दिनेशसिंह पुत्र बंशीलाल, जातिगण पुरोहित, निवासीगण ठाकुरला, तहसील पाली जिला पाली
   1/4. दमूदेवी D/O बंशीलाल
2. भोपालसिंह पुत्र रूपसिंह जाति पुरोहित निवासी ठाकुरला तहसील व जिला पाली।
3. तहसीलदार, पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेण्ट्स 1/1 से 1/3 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत जी मकवाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 12.03.2024

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत धारा 75 विरूद्व आदेश नं./राजस्व 85 दिनांक 23.02.68 एवं आदेश नं.रेवेन्यू/92/1386 दिनांक 21.07.92 तहसीलदार पाली द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एलोटमेन्ट फोर लैण्ड फोर रिसेप्टीकल्स) नियम 1961 के तहत ग्राम ठाकुरला के खसरा ग्राम ठाकुरला के खसरा नम्बर 179 गैर मुमकिन रास्ते में से 3 बिस्वा भूमि बाडा नियमन निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र व वक्त बहस कथन किया कि ग्राम ठाकुरला में अपीलार्थी के सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 229 स्थित है, जो मुख्य सडक खसरा संख्या 179 से लगती हुई है। खसरा संख्या 179 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार गैर मुमकिन रास्ता है, जो मौके पर सडक के रूप में ग्राम सोडावास से ग्राम ठाकुरला जाती है। उपरोक्त खसरा नम्बर 179 सडक के रूप में ही स्थित है व 50 वर्षों से अधिक समय से मौके पर भी उपयोग में आ रही है और राजस्व रेकर्ड में भी गैर मुमकिन रास्ते के रूप में ही दर्ज है। अपीलाण्ट की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 229 उपरोक्त खसरा नम्बर 179 से लगती हुई है एवं उक्त खसरा नम्बर 179 की भूमि, जो रास्ते एवं सडक के रूप में मौके पर स्थित है। उपरोक्त बाडा नियमन के नियम राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एलोटमेन्ट फोर लैण्ड फोर रिसेप्टीकल्स) नियम 1961 के तहत किया गया है, जो अवैध है क्योंकि उपरोक्त नियमों के नियम 4 के अनुसार किसी भी सडक से 100 गज की परिधी में आवंटन नहीं किया जा सकता है, जबकि उपरोक्त

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

आवंटन तो रास्ता व सडक की भूमि पर ही किया गया है क्योंकि रास्ता/सडक की भूमि और अपीलार्थी की सहखातेदारी भूमि के बीच अन्य किसी खसरा की कोई जमीन नहीं है। बाड़ा आवंटन जो रास्ते की भूमि का ही किया गया है, जो एब इनिसियो वॉइड व शून्यवृत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील–अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर जैर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पो. ने वक्त बहस अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट के पक्ष में किया गया बाड़ा आवंटन पूर्ण रूप से विधिवत व नियमानुसार ही किया गया है। अतः अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है। इसी प्रकार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते अपील पेश करने की इजाजत में वर्णित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि रेस्पो. को आवंटित बाड़े की भूमि अपीलाण्ट की भूमि से लगते हुए होने से वह आवश्यक पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देते है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों की श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि संबंधित बाड़ा भूमि आवंटन नियम 1961 में भूमि का आवंटन खेत खलिहान के रूप में अथवा कृषि कार्यों से संबद्ध उपयोग के लिए किया जाता है तथा यह पूर्णतया अस्थाई होता है तथा किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। इसकी राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि किये जाने की कोई विधिक उपादेयता नहीं होती। इस प्रकरण में तो यह भी स्पष्ट है कि जैर आराजी की किस्म रास्ता है व रास्ते की भूमि का किसी भी रूप में आवंटन संबंधित नियमों एवं विधिनुसार किया जाना भी निषिद्ध है। अतएव नियम विरूद्ध किये गये उक्त आवंटन को राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि रहे दिये जाना तथा उक्त अस्थाई आवंटन जारी रखा जाना कदापि उचित नहीं है। तद्नुसार अपील–अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 179 गैर मुमकिन रास्ते में से 03 बिस्वा भूमि बाड़ा नियमन किये जाने के आदेश को अपास्त किया जाकर भूमि को पुनः राज्यहित में लिया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर जैर आराजी को पुनः कब्जेराज में लिये जाने के निर्देश दिये जाते है। निर्णय की सत्य–प्रति तहसीलदार पाली को माफिक निर्णय पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली